

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डुंगरपुर

मिसल नं० 702
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 28-06-18

प्रार्थी श्री बालजी पिठ देवेगण्डे निर्णय ::

जति पेठ उम्र 75 नि० खेमपुर तहसील डुंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत खेमपुर दिनांक 28-06-18 को इत्त आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लोक अदालत के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा खेमपुर पंचायत समिति खेमपुर में स्थित खाता संख्या 336 पर आराजी नं० 1915 कुल 6 बीघा 6 बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 6 बिस्वा पर प्रार्थी नालिक काबिज होकर कृषि कारत करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (भेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उवत आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिल पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी सुन्दर मी. पुनीत नि० खेमपुर ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम खेमपुर के खसरा नं० 1916 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 6 बिस्वा की जमाबंदी सन्वत् 2070=73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा खेमपुर में स्थित खाता संख्या 336 पर आराजी नं० 1915 रकबा 6 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 6 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा खेमपुर में स्थित खाता संख्या 336 पर आराजी नं० 1915 रकबा 6 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 6 बिस्वा विवादप्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डुंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक हथ्याई के नैतृत्व में टीम गठित कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जाये। तहसीलदार, डुंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रु० 700/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जाये। पत्रावली फंसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
डुंगरपुर